प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-108/2024 दिनांक 17.04.2024)

दिनांक-17.04.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अन्तर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 04 अदद चार पहिया वाहन से तस्करी कर ले जायी जा रही कुल 24 बोतल व 977 फ्रुटी पाउच अंग्रेजी शराब भिन्न-भिन्न ब्राण्ड की (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 25 लाख रुपये) के साथ 04 शराब तस्कर गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक कुमार अजेय के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव- 2024 को सकुशल एवं शांन्तिपुर्ण तरीके से संम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पडरौना मय पुलिस द्वारा रेलवे फाटक खड्डा रोड के पास से 04 अलग- अलग कारो के अन्दर छुपाकर ले जायी जा रही कुल 977 फ्रुटी पाउच (94 पाउच 8PM, 883 पाउच OFFICERS CHOISE) अंग्रेजी शराब (प्रत्येक 180 एमएल) तथा 24 शीशी ROYAL STAGE (प्रत्येक 750 एमएल) अग्रेजी शराब बरामद किया गया तथा मौके से कुल 4 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 227/2024 धारा 60/72 आबकारी अधि0 ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-विट्टू कुमार पुत्र दिनेश कुमार मिश्र साकिन महारानी थाना पिपरा कोठी जिला मोतिहारी बिहार

2-राजन कुमार पुत्र रामचन्द्र राय साकिन घरमुहा थाना पिपरा कोठि मोतिहारी बिहार

3-विरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर साह साकिन दयाछपरा थाना चकिया जनपद मोतिहारी बिहार

4-प्रमोद कुमार पुत्र रामचन्द्र राय साकिन मथुरा पुरा मठगोपाल थाना पिपरा कोठि जनपद मोतिहारी बिहार

बरामदगी का विवरणः—(वाहन सहित कुल कीमत लगभग 25 लाख रुपये)

1-HYUNDAI SENTRO XING UP53AY9972 (कुल कीमत लगभग 05 लाख रुपये)

2-HYUNDAI SENTRO BR01AA3273(कुल कीमत लगभग 05 लाख रुपये)

3-WAGNOR UP52BR3789 (कुल कीमत लगभग 05 लाख रुपये)

4-HYUNDAI SENTRO UP53AP1467 (कुल कीमत लगभग 05 लाख रुपये)

5-कुल 977 फ्रुटी पाउच (94 पाउच 8PM, 883 पाउच OFFICERS CHOISE) अंग्रेजी शराब (प्रत्येक 180 एमएल) 6-24 शीशी ROYAL STAGE (प्रत्येक 750 एमएल) (शराब की कुल कीमत लगभग 05 लाख रुपये)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1-प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 श्री मनोज कुमार वर्मा थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर
3-उ0नि0 श्री मनोज द्विवेदी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4-उ0नि0 श्री विवेक पाण्डेय चौकी प्रभारी मिश्रौली कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
5-हे0का0 अखिलेश कुमार यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
6-हे0का0 अजीत राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
7-का0 आशुतोष यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर।
8-का0 मनोज यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर।
9-का0 नरेन्द्र यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।

अपहरण की घटना का पर्दाफाश, साक्ष्य मिटाने एंव आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मुकदमें में सम्मिलित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.04.2024 को थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा महन्थ शिवानन्द हास्पिटल के आगे बैकुण्ठपुर कोठी की तरफ जाने वाले तिराहे के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2024 धारा 201/306 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण 1-अजय शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा सा0 बैकुण्ठपुर कोठी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर, 2-रामनाथ शर्मा पुत्र भेखरी शर्मा सा0 बैकुण्ठपुर कोठी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12/04/2024 को श्री रामनाथ शर्मा थाना विशुनपुरा पर एक प्रार्थना पत्र अपनी बहू के गायब होने के संबंध में दिया था, पुलिस द्वारा तत्काल घटना को संज्ञान में लेकर रामनाथ शर्मा की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 154/2024 धारा 366 भादवि0 बनाम अज्ञात दिनांक 12/04/2024 को पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी तथा अपहृता की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था कि दिनांक 14/04/2024 को एक लाश बोरे में भरकर नारायणी नदी में ग्राम लक्ष्मीपुर डीही क्षेत्र से बरामद हुई बरामद शव की पहचान श्री रामानन्द शर्मा (मृतका के पिता) निवासी डीही मुसहरी थाना धनही जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार के रुप में हुई। मृतका के पिता ने बताया कि यह हमारी लड़की ही है जिसको राजा शर्मा ने भगा कर लाया था मृतका के पिता रामानन्द शर्मा की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 306/201 भादवि0 की वृद्धि कर विवेचना की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि रामनाथ शर्मा के बड़े लड़के की शादी रामानन्द शर्मा के लड़की से हुई है, रामनाथ शर्मा का छोटा लड़का राजा शर्मा अपने रिश्तेदार रामानन्द शर्मा के यहां आता-जाता था वही से रामानन्द शर्मा की

छोटी लड़की ममता को बहला फुसलाकर अपने घर लाया और दिसम्बर माह से ही अपने घर पर रखा था तथा वह बाहर कमाने चला गया। पारिवारिक कलह से मृतका पत्नी राजा शर्मा ने दिनांक 8/9-04-2024 की रात में आत्महत्या कर ली और परिवार के लोग जब सुबह जगे तो देखे की ममता की मृत्यु हो गयी है तो अपने को बचाने के लिये मृतका के शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर मोटर साइकिल से लादकर अजय शर्मा व रामनाथ शर्मा ने नारायणी नदी के खुरहुडिया घाट थाना क्षेत्र बरवापट्टी में गहरे पानी में डाल दिया तथा अपने को बचाने के लिये झुठा मुकदमा पंजीकृत करा दिये था। इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पंजीकृत/अनावरित अभियोगः-

मु0अ0सं0 154/2024 धारा 201/306 भादवि0

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1-अजय शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा सा0 बैकुण्ठपुर कोठी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

2-रामनाथ शर्मा पुत्र भेखरी शर्मा सा0 बैकुण्ठपुर कोठी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

1-घटना से संबंधित एक अदद मोटर साइकिल वाहन सं0 UP 57 BA 2901

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीमः-

1-प्र0नि0 रामसहाय चौहान थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

2-का0 सत्यम राय थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

3-का0 नितीश कुमार सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

थाना चौराखास पुलिस द्वारा एक अदद पिकप वाहन (कीमत लगभग 10 लाख रुपये) की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.04.2024 को थाना चौराखास थाना चौराखास पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त मुहम्मद असजद पुत्र फरहद हुसैन साकिन दुबे टोला थाना तरकुलवा जनपद कुशीनगर के द्वारा अवैधानिक कृत्यो से अर्जित सम्पत्ति से एक अदद पिकअप वाहन संख्या UP 57 AT 2649 बोलेरो पिकअप कीमत लगभग 10,00,000/ (दस लाख रुपये) को धारा 14(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग 10 लाख रुपये)

1- एक बोलेरों पिकअप वाहन संख्या UP 57 AT 2649 कीमत लगभग 10,00,000/- (10 लाख रुपये)

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभूषण प्रजपाति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
2-व0उ0नि0 वेदप्रकाश सिंह थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
3-हे0मो0 गजानन तिवारी थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा गोवध के मुकदमें में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.04.2024 को मनिकौरा जूड़ी चौराहे के पास से थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 146/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनयम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त सुलेमान गद्दी पुत्र रूदल गद्दी सा0 तमकुहवा थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 146/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनयम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुलेमान गद्दी पुत्र रूदल गद्दी सा0 तमकुहवा थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार

आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 94/2024 धारा 147,149,341,323,307,379,504,325,506 भादवि थाना धनहा जनपद बगहा बिहार

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2.उ0नि0 श्री सचिन दिवाकर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
3.का0 शंखधर राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4.का0 नितीश यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 42 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-09वाहन

2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-49,व्यक्ति-224

3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(07)

4-जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-49)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर